



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1943 (श0)
(सं0 पटना 848) पटना, सोमवार, 4 अक्टूबर 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

1 अक्टूबर 2021

सं0 7 / स्था0-04-02 / 2016सा0प्र0-11660—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-39755 दिनांक 10.09.2021 द्वारा अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) संवर्ग के अन्तर्गत अधिवक्ता वर्ग से सीधे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर वेतनमान रु0 51550-1230-58930-1380-63070 में एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्रं0स0	न्यायिक पदाधिकारियों के नाम/पत्राचार का पता	रौल नं0	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	दीपक कुमार, S/o श्री योगेन्द्र प्रसाद, 101/ए 3, रेलवे कॉलोनी, बंसत लेन, पहाड़गंज, नई दिल्ली, पिन-110055	10863	15.10.1980
2	राजविजय सिंह, S/o श्री रमेश सिंह, ब्लॉक नं0-52, चन्नी कर्थौली बारी, ब्राम्हण, जम्मू एवं कश्मीर, पिन-181133	12578	17.07.1983
3	मनीष कुमार शुक्ला, S/o श्री विद्या सागर शुक्ला, हाउस नं0-बी-34/ए, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201005	10861	15.07.1982

4	सुदेश कुमार श्रीवास्तव, S/o श्री त्रिलोकी नाथ श्रीवास्तव, डी-1/314, सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पिन-226021	10968	22.04.1973
5	मनीष कुमार, S/o श्री प्रेम कुमार, रिमझिम होटल, भीखना पहाड़ी, पटना, बिहार, पिन-800004	13307	05.06.1983
6	पीयूष कुमार, S/o स्व० शम्भू नाथ मिश्रा, प्लैट नं०-103, जे-ब्लॉक, श्री कृष्णा अपार्टमेंट, सेक्टर-16, रोहणी, दिल्ली, पिन-110089	10087	09.08.1975
7	नर्वदेश्वर पाण्डेय, S/o श्री कमल नारायण पाण्डेय, बी-14/13, एफ एफ-301, डी एल एफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201102	12288	15.02.1978
8	पवन कुमार, S/o श्री ओम प्रकाश सिंह, प्लैट नं०-11, प्लॉट-7, मेट्रो प्लाजा, विक्रम इनक्लेव, शालीमार गार्डन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-201005	11733	26.08.1982
9	निकिता आर वोरा, D/o श्री रमेश सी वोरा, 13/1, वेंकटरमण स्ट्रीट, I फ्लोर, कोडिथोपे, चैन्नई, तमिलनाडू, पिन-600001	10981	07.11.1983
10	रंजीता कुमारी, D/o श्री धर्मजीत सिंह, ऑफिस ऑफ ए०डी०पी०ओ० कोर्ट परिसर, मऊगंज, रीवा (म०प्र०), पिन-486331	10776	01.11.1980
11	रचना अग्रवाल, D/o श्री सुभाष चंद अग्रवाल, सी-3, अशोक विहार, फेज-1, दिल्ली, पिन-110052	13326	12.11.1979
12	गौरव सिंह, S/o श्री देव शरण सिंह, ग्राम+पो०-अखलासपुर, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर (भभुआ), बिहार, पिन-821101	11461	20.01.1983
13	प्रमोद कुमार, S/o श्री विष्णु दयाल सिंह, केएच० नं०-102/2, 2 nd फ्लोर, गली नं०-14 ए, वजिराबाद, दिल्ली, पिन-110084	12028	13.01.1980
14	पुष्पा कुमारी, D/o श्री राम सुरेश शर्मा, कल्याणी निवास, आई०एम०ए० हॉल रोड, सलिमपुर अहरा, पटना-800003	12483	22.03.1978
15	सत्यनारायण लाल संहजी, S/o श्री किशोर प्रसाद संहजी, स्वास्तिक अपार्टमेंट, पॉकेट सी-1, 2 nd फ्लोर, खेसरा नं०-769/2, 41 एफ टी रोड, एक्सटेंड लार डोरा, ग्राम-बुरारी (दिल्ली), पिन-110084	11414	08.09.1972

16	ज्योति कुमारी, D/o श्री योगेन्द्र सिंह, नालन्दा कॉलोनी, पूर्वी इंदिरा नगर, कंकड़बाग, पटना, पिन-800020	12414	22.01.1984
----	---	-------	------------

2. उपर्युक्त सूची के क्रम संख्या-5 में उल्लिखित श्री मनीष कुमार की नियुक्ति नौबतपुर थाना में उनके विरुद्ध दिनांक 19.05.2020 को दर्ज कांड संख्या-250/2020 धारान्तर्गत 406, 420, 467, 468, 471, 134 में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. सूची के क्रम संख्या-12 में उल्लिखित श्री गौरव सिंह की नियुक्ति वाद संख्या-873/2019, भभुआ थाना में दर्ज कांड संख्या-589/2019, जिसे बाद में उत्पाद अधिनियम के वाद संख्या-304/2020 में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके तहत भा0द0वि0 की धारा 302, 120 (बी) सह-पठित धारा 34 हत्या के लिए उकसाने, शस्त्र अधिनियम की धारा 27 एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37(2) जो उनके विरुद्ध लंबित है, के फलाफल से प्रभावित होगा।

4. उक्त अनुशासित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी:-

- यदि इनके पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने अथवा प्रमाण पत्र/अभिलेखों के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जाने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, उम्र, अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी।
- संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थियों के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित चिकित्सक पर्षद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी/विवाह में तिलक/दहेज आदि नहीं लेने/देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 848-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>